



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1148

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41438 वर्ष 2025

अनूप कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: लवकुश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता महेंद्र त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

सूची में पुनरीक्षण किया गया है। पहले सूचनादाता का नाम इसमें नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुश कुमार मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री अजय कुमार सिंह की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक अनूप कुमार की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 462/2025 में धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम और धारा 112(2) और 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023, पुलिस स्टेशन शाहगंज, जिला आगरा के तहत जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 2.9.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में एफआईआर श्री घनश्याम हेमलानी के कहने पर दर्ज कराई गई है, जो न तो पीड़ित व्यक्ति हैं, न ही पीड़ित व्यक्ति के रिश्तेदार हैं और न ही उनके निकट परिवार के सदस्य हैं, इसलिए, कथित एफआईआर के आधार पर अभियोजन शुरू करना अमान्य है। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 17.10.2025 के हालिया फैसले का हवाला दिया है, **राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, जो 2025 लॉ सूट (एससी) 1391** में प्रकाशित हुआ है, जिसमें न्यायाधीशों ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 117 में निम्नलिखित बातें कही हैं:

“117. धारा 4 के यथार्थ स्वरूप को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कथित अपराध, अवैध धर्मांतरण के लिए अभियोजन की शुरुआत सीमित है और इसे केवल पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर या उसके निकट परिवार के सदस्यों या रक्त संबंधियों द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। हमारे विचार में, इस प्रतिबंध का मूल कारण यह मान्यता है कि धर्म को मानने, उसका पालन करने या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, और साथ ही अपनी पसंद के धर्म को त्यागने या अपनाने की स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का एक पहलू है। यह **अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वतंत्रता मानवीय अंतरात्मा और निर्णय लेने की स्वायत्तता के आंतरिक क्षेत्र में निहित है। अजनबियों या असंबंधित तीसरे पक्षों के कहने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस संरक्षित क्षेत्र में एक अस्वीकार्य हस्तक्षेप होगा और तुच्छ या प्रेरित अपराधों का द्वार खोल देगा। मुकदमेबाजी, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी कमजोर हो जाती है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय ने शाफिन जहां (उपरोक्त) मामले में इस बात पर जोर दिया कि धर्म या जीवनसाथी चुनने का अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्तता का अभिन्न अंग है।“

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी राजकुमार लालवानी को इस न्यायालय द्वारा 14.11.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 37359/2025 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उनके न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **अनूप कुमार** को, मुकदमा अपराध संख्या के अंतर्गत, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि में प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।